

/182963/2024

335

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-2
ई पत्रावली संख्या-60145
देहरादून: दिनांक 22 जनवरी, 2024

:: कार्यालय ज्ञाप ::

वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-1/152181/2023 (ई- पत्रावली संख्या 60145) दिनांक 08 सितम्बर, 2023 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत निम्न 03 सेतुओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०	कार्य का नाम	लम्बाई (मी. में)	शासन द्वारा अनु. लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा लोहाघाट में छीड़ा गधेरे में पैदल सेतु के नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)।	30 mtr.	3.60	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा लोहाघाट में बाराकोट सिमलखेत मोटर मार्ग के कि०मी० 38 में मोटर सेतु को क्लास ए में सिंगल लेन से डबल लेन में उच्चिकृत किये जाने का कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)।	48 mtr.	7.08	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा लोहाघाट में बाराकोट सिमलखेत काफलीखान भनोली (एस०एच०-57) मोटर मार्ग के कि०मी० 36 में मोटर सेतु को क्लास ए में 1.5 लेन में उच्चिकृत किये जाने का कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)।	30 mtr.	9.00	0.10
	कुल योग:-	03 Bridge	19.68	0.30

2- शासन स्तर से स्वीकृत विभिन्न कार्यों/योजनाओं की समीक्षा के दौरान शासन के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त तालिका के क्रमांक-2 एवं 3 पर अंकित कार्यों/सेतुओं की स्वीकृति शासनादेश संख्या-1/98725/2023 (ई- पत्रावली संख्या-19207) दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। अतः शासनादेश संख्या-1/152181/2023 (ई-पत्रावली संख्या-60145) दिनांक 08 सितम्बर, 2023 द्वारा प्रदत्त उपरोक्त तालिका के क्रमांक-2 एवं 3 पर अंकित कार्यों/सेतुओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

3- शासनादेश संख्या-1/152181/2023 (ई-पत्रावली संख्या 60145) दिनांक 08 सितम्बर, 2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

Signed by Shyam Singh

(श्याम सिंह)

Date: 17-01-2024 12:02:41

संयुक्त सचिव।

प्रतिनिधित्वित का सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

268

24.1.

Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun

63/2024

2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, चम्पावत।
5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
10. अधिशासी अभियन्ता, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट को उनके पत्रांक-1461/9सी. दिनांक 15.09.2023 के सन्दर्भ में।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 65 /20 याता0कनियो0-1/2024

दिनांक-25.01.2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून